(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम):** (क) और (ख) एयर टैक्सी एवं अनुसूचित प्रचालकों की ओर बकाया अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर तथा हवाई अड्डा प्रभारों की राशि क्रमशः संलग्न विवरण I तथा II में दर्शाई गई है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) मै० ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स (ई डब्ल्यू ए) ने जून, 1996 के महीने में दो दिन तक बीमा सुरक्षा के बिना अपने विमानों का प्रचालन किया था। कुछ गैर-सरकारी विमान कंपनियों द्वारा अनुरक्षण अपेक्षाओं संबंधी कुछ उल्लंघन किए गए थे।

(ङ) और (च) मै० ई० डब्ल्यू० ए० को इस मामले में अपना स्पष्टीकरण देने के बारे में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

अनुरक्षण अपेक्षाओं की उल्लंघनों के लिए गलती करने वाले विमान अनुरक्षण अभियंताओं के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।

## विवरण-I

| | ग्राहक का नाम | दिनांक 12.7.96 को अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर की बकाया राशि (ब्याज तथा जुर्माने सहित) |
|---|---|---|
| | | (लाख रुपए में) |
| 1. | मै० राज एविएशन प्रा०लि० | 61.76 |
| 2. | मै० सिटी लिंक एयरवेज | 78.82 |
| 3. | मै० एअर एशियाटिक लि० | 75.78 |
| 4. | मै० कांटिनेंटल एविएशन प्रा०लि० | 74.86 |
| 5. | मै० गोवा एयरवेज एविएशन | 3.30 |
| 6. | मै० जगसन एयरलाइन्स | 17.30 |
| 7. | मै० सपन एविएशन पूणे | 13.22 |
| 8. | मै० वी०आई०एफ० एयरवेज लि० हैदराबाद | 23.56 |
| 9. | मै० यू०पी० एयरवेज लि० | 100.71 |
| 10. | मै० एन०ई०पी०सी० एयरलाइन्स | 77.48 |
| 11. | मै० मोदी लुफ्त | 304.41 |
| 12. | मै० ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स | 341.32 |
| 13. | मै० स्काइलाइन० एन०ई०पी०सी० | 63.68 |
| 14. | मै० अर्चना एयरवेज | 5.57 |

## विवरण-II

**दिनांक 31.1.1996 की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी एयरलाइनों द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय हवाई अड्डा प्रभार की बकाया राशि का विवरण**

| क्र०सं० | पार्टी का नाम | बकाया राशि (लाख रुपए में) |
|---|---|---|
| 1. | एरियल सर्विसिज | 0.[illegible] |
| 2. | अर्चना एयरवेज | 15.43 |
| 3. | कांटिनेंटल एविएशन | 36.83 |
| 4. | सिटी लिंक एयरवेज | 0.59 |
| 5. | कासमोस फ्लाइट लि० | 1.55 |
| 6. | दमानिया एयरवेज | 128.39 |
| 7. | दिल्ली-गल्फ एयरवेज | 0.65 |
| 8. | एस०बी० एयरलाइन | 3.87 |
| 9. | ईस्ट वेस्ट एयरलाइन | 1185.06 |
| 10. | ईस्टर्न एयरवेज | 0.10 |
| 11. | गुजरात एयरवेज | 2.76 |
| 12. | जेट एयरवेज | 208.06 |
| 13. | जगसन एयरलाइन्स | 20.84 |
| 14. | के०सी०वी० एयरलाइन्स | 0.95 |
| 15. | माल्स देवधर एयरवेज | 0.32 |
| 16. | मोदी लुफ्स एयरलाइन्स | 248.90 |
| 17. | मेगापोड एयरलाइन्स | 0.24 |
| 18. | एन०ई०पी०सी० एयरलाइन्स | 113.20 |
| 19. | राज एविएशन | 4.59 |
| 20. | सहारा इंडिया लि० | 143.67 |
| 21. | सपन एविएशन | 4.20 |
| 22. | सराया एविएशन प्रा०लि० | 10.81 |
| 23. | ट्रांस भारत एविएशन प्रा०लि० | 12.90 |
| 24. | यू०पी० एअर | 33.57 |
| 25. | वी०आई०एफ० एयरवेज | 15.30 |

**Five-fold increase in the C.G.H.S. beneflidaries subscription**

3501. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government had increased the C.G.H.S. beneficiaries subscription five-fold last year;

(b) if so, whether improvements were

brought about in the functioning of the C.G.H.S. in the wake of increase in the subscription;

(c) if so, the specific improvements made; and

(d) if not, the reasons therefor and steps taken to ensure adequate supply of all medicines etc. in its dispensaries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) The subscription rates of CGHS were last increased in 1994.

(b) to (d) The improvement in the functioning of the CGHS is not directly related to increase in the subscription. It is a continuous and ongoing process.

Improvements recently introduced include opening of new dispensaries at Trivandrum and Guwahati, Upgradation of laboratories with the latest equipment, supply of medicines through local chemists, simplification of procedure for referral to private recognized hospitals, increase in the reimbursement rates of major appliances like packmakers, issue of whole life CGHS cards to pensioners on payment of 10 years' subscription, recognition of private hospitals/diagnostic centres to supplement the CGHS's own facilities etc.

**वर्ष 1995-96 में इंडियन बैंक को हुआ घाटा**

3502. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक को वर्ष 1995-96 में 1,336 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो घाटे की वास्तविक राशि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैंक द्वारा इतने बड़े घाटे के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के कार्यकरण पर निगरानी रखने और उसका निरीक्षण करने संबंधी दिये गये मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया था; और

(ङ) यदि हां, तो जिन अधिकारियों को निगरानी और निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है, उनके नाम क्या है?

**वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्):** (क) और (ख) इंडियन बैंक ने 1995-96 में 1336.40 करोड़ रुपए के घाटे की सूचना दी है।

(ग) से (ङ) 1995-96 के दौरान इंडियन बैंक को घाटा मुख्यतः पिछले वर्षों के दौरान प्रावधान संबंधी मानदंडों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का पालन न करने के कारण हुआ है। पिछले वर्षों में अल्प प्रावधान के कारण 1995-96 के दौरान हुए ऋण घाटों के लिए बैंक ने आय की पहचान और अग्रिमों के परिसम्पत्ति वर्गीकरण पर आधारित प्रावधान बनाए हैं। प्रथम दृष्टया, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1994-95 के लिए इंडियन बैंक के खातों को पूर्णतया ठीक नहीं माना था। तथापि, क्योंकि तुलन-पत्र एक बार प्रकाशित कर देने के पश्चात उसको फिर से तैयार करने के लिए किसी व्यवस्था के न होने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1994-95 के लिए पत्र को अनुमोदित कर दिया था और बैंक से कहा था कि वह 1995-96 के दौरान अतिरिक्त प्रावधान करे। बैंक की कार्य-पद्धति में सुधार लाने की दृष्टि से, आंतरिक नियंत्रण विशेषतया, ऋण और निधि प्रबंधन में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बैंक की कार्यपद्धति की निगरानी हेतु एक शीर्ष प्रबंधन समिति, राजकोषीय प्रबंधन के लिए एक निधि एवं निवेश समिति और अनिष्पादित परिसम्पत्तियों की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक विशेष वसूली प्रबंधन समिति गठित की गई है। बैंक ने निवेश और ऋण दर निर्धारण एजेंसी (आई० सी० आर० ए०) को नैदानिक अध्ययन करने और पुनर्गठन के लिए कार्य नीति सुझाने का कार्य भी सौंपा है। सतर्कता विभाग का प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी० वी० ओ०) होता है। पहले सतर्कता और निरीक्षण विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी के नियंत्रण में थे। परन्तु वे दोनों विभाग 01.8.95 से अलग-अलग कर दिए गए हैं और अब इनके प्रमख क्रमशः मुख्य सतर्कता अधिकारी और महाप्रबंधक (निरीक्षण) होते हैं।

**Proposal for enforcement of Legal Services Authorities Act**

3503. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal for the enforcement of the Legal Services